

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274920
SG-DL-E-29072026-274920असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 198]	DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948	[N. C. T. D. No. 126

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

फा. सं. 50(46)/89/औ0नि0/स्था0/पार्ट फा./309.—औषधि नियमावली, 1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पठित नियम 59 के उप नियम (1) तथा नियम 67—क के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 689 (ई) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री संजय कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, उक्त नियमावली के भाग VI तथा VI—क के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सी. एल. राय, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd July, 2026

F. No. 50(46)/89/DC/Estt/Part File/309.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of rule 67-A read with clause (i) of rule 2 of the Drugs Rules, 1945, and in pursuance of Notification No. S.O. 689(E) dated 25th September, 1985 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sanjay Kumar, Assistant Drugs Controller, Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as the Licensing Authority for the purposes of Part VI and Part VI-A of the said Rules for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

C. L. ROY, Dy. Secy.